भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

24.07.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 5044 का उत्तर

छोटे स्टेशनों पर सुविधाएं

5044. श्री गोपाल शेट्टीः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे छोटे रेलवे स्टेशनों की जीर्ण शीर्ण अवस्था से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे देश में स्थित छोटे रेलवे स्टेशनों, जिनका उपयोग लाखों लोग प्रतिदिन करते हैं, के अनुरक्षण की पूरी तरह उपेक्षा कर रहा है;

(ग) यदि हां, इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(घ) रेलवे द्वारा रेलवे स्टेशनों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कौन-सी योजनाएं आरंभ/प्रस्तावित की गई हैं?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

sk

छोटे स्टेशनों पर सुविधाओं के संबंध में 24.07.2019 को लोक सभा में श्री गोपाल शेट्टी के अतारांकित प्रश्न सं. 5044 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): सुख-सुविधाओं सहित रेलवे स्टेशनों का सुधार/आवर्धन एक सतत और चालू प्रक्रिया है और इस संबंध में निर्माण कार्य की परस्पर प्राथमिकता और धन की उपलब्धता अध्यधीन आवश्यकतानुसार शुरू किए जाते हैं। रेलवे स्टेशन को आमान परिवर्तन/ रेलपथ दोहरीकरण परियोजनाओं के दौरान भी अपग्रेड किया जाता है।

रेलवे स्टेशन को स्टेशन की आमदनी और स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। निर्दिष्ट मानदंडो के अनुसार न्यूनतम अनिवार्य सुख-सुविधाएं, स्टेशन की कोटि के आधार पर, सभी स्टेशनों पर सुनिश्चित की जाती है। बड़ी लाइन पर सभी कोटि के स्टेशनों के लिए उपरि पैदल पुल और ऊंचाई वाले प्लेटफॉर्म को अब न्यूनतम अनिवार्य सुविधाओं में शामिल कर लिया गया है। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाने और उपरि पैदल पुल के प्रावधान को स्वीकृत और निष्पादित करते समय उच्चतर कोटि के स्टेशन की तुलना में को निम्नतर कोटि के स्टेशन पर प्राथमिकता दी जाती है।

स्टेशनो के विकास और अनुरक्षण के लिए आबंटन और व्यय के ब्यौरे क्षेत्रीय रेलवे-वार रखे जाते हैं न कि राज्यवार। इन सुख-सुविधाओं को योजना शीर्ष - 53 'यात्री सुख-सुविधाएं' के तहत सामान्यता वित्त पोषित किया जाता है। पिछले पांच वर्षों अर्थात 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और चालू वर्ष 2019-20 के दौरान भारतीय रेल पर इस योजना शीर्ष-53 के लिए बजटीय स्त्रोतों के तहत आबंटित निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	वास्तविक व्यय
2014-15	858.61
2015-16	1081.21
2016-17	981.25
2017-18	1286.81
2018-19	1585.89
2019-20	545.92 (जून 2019 तक)

******

sk